इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2016—श्रावण 8, शक 1938

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. एफ 1-5-2010-सात-4ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासनिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-पांच में, मद क्रमांक 3 में, चयन में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि स्कीम के अधीन चयन के लिए अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम पैंसठ प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी को इस योजना के अधीन चयन के लिए परीक्षा में न्यूनतम पंचास प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना होंगे:

परन्तु यह और भी कि इस योजना के अधीन चयनित अभ्यर्थी नायब तहसीलदार के रूप में,—

(क) विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान जिसमें आरोप-पत्र जारी किया गया है; या

(ख) पूर्व के पांच वर्षों के दौरान वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टीका की गई है; अथवा

(ग) यदि न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों के भीतर उस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है नियुक्त नहीं किया जाएगा.

No. F 1-5-2010-VII-4A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Junior Administrative Service (recruitment and service condition of service) rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in schedule V in item number 3 selection the following provisos shall be inserted, namely:—

Provided that for selection under this scheme the candidate shall have to obtain minimum sixty five percent marks in this examination:

Provided further that for selection under this scheme the candidate of Scheduled Castes and Schedule Tribes shall have to obtain minimum fifty percent marks in this examination:

Provided also that the selected candidate under this scheme shall not be appointed as a Naib Tehsildar,—

(a) During the pendency of any department enquiry in which charge sheet has been issued;

(b) If any adverse remark is mentioned in his ACR (Annual Confidential Report);

(c) If any criminal proceeding is pending before any court or Authority;

(d) If any penalty is imposed upon him within preceding five years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.